



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE: SEPTEMBER 15, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

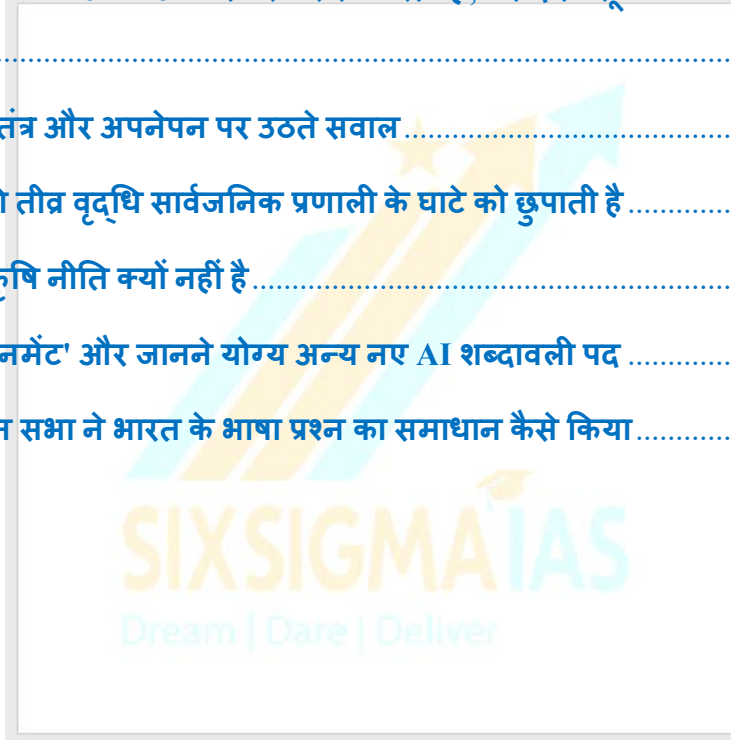


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. सरकार: ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर कोई बैंक शुल्क नहीं.....	2
2. अगस्त में मुख्य मुद्रास्फीति के आंकड़े बढ़े, RBI के ब्याज दर निर्णय पर सभी की निगाहें.....	4
3. वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रमुख चुनौती से निपटने का नया तरीका खोजा.....	5
4. ₹70 करोड़ मूल्य के ₹20 के नकली सिक्के चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश	7
5. चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर सबसे पुराने प्रभाव बेसिन (Impact Basin) की खोज की हो सकती है: शोधकर्ता.....	8
6. भारत और वियतनाम रक्षा संबंधों को गहरा करने और सैन्य उपकरणों के सह-उत्पादन पर सहमत हुए.....	10
7. सरकार कल्याणकारी योजनाओं में आधार पर भरोसा करती है; मतदाता सूची बनाने के लिए भी इस पर निर्भर रहने की आवश्यकता है	11
8. AfD के उभार में लोकतंत्र और अपनेपन पर उठते सवाल	13
9. हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र की तीव्र वृद्धि सार्वजनिक प्रणाली के घाटे को छुपाती है	14
10. पंजाब में अभी तक कृषि नीति क्यों नहीं है	16
11. 'एजेंटिक मिसअलाइनमेंट' और जानने योग्य अन्य नए AI शब्दावली पद	18
12. हिंदी दिवस: संविधान सभा ने भारत के भाषा प्रश्न का समाधान कैसे किया	19



1. सरकार: ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर कोई बैंक शुल्क नहीं

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **डिजिटल लेनदेन शुल्क पर अधिसूचना:** वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि बैंक और सिस्टम प्रदाता ₹2,000 तक के UPI लेनदेन और RuPay डेबिट कार्ड भुगतानों पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकते हैं।
- **उच्च-मूल्य वाले लेनदेन पर संभावित MDR:** यह नीति ₹2,000 से अधिक के उच्च-मूल्य वाले व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन पर लगभग 0.4-0.5% के मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) जैसे शुल्क को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करती है।

- **निर्णय लेने वाली संस्था:** उच्च-मूल्य वाले लेनदेन पर शुल्क लगाने का निर्णय 22-सदस्यीय UPI और सेवा संचालन समिति (Services Steering Committee) के पास है, जिसका नेतृत्व बैंकों और तृतीय-पक्ष ऐप प्रदाताओं के साथ-साथ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) करता है।
- **लेनदेन वितरण की गतिशीलता:** वर्ष 2025-26 में, ₹2,000 से अधिक के लेनदेन मात्रा (volume) के हिसाब से कुल P2M UPI लेनदेन का केवल 4% थे, फिर भी कुल P2M भुगतान मूल्य के लगभग दो-तिहाई हिस्से के लिए जिम्मेदार थे।
- **वैधानिक संशोधन के माध्यम से विधायी समर्थन:** यह अधिसूचना संसद द्वारा कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित करने के बाद आई है, जिसने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A में संशोधन किया है।
- **डिजिटल भुगतानों का वित्तीय पैमाना:** वर्ष 2025-26 में ₹314 लाख करोड़ मूल्य के 24,000 करोड़ से अधिक UPI लेनदेन निष्पादित किए गए, जो भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विशाल पैमाने को रेखांकित करते हैं।

Government bars fees on UPI payments up to Rs 2,000, RuPay debit card payments



आवश्यक परिभाषाएं

- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI):** NPCI द्वारा विकसित एक तत्काल रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली जो अंतर-बैंक पीयर-टू-पीयर (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन को सुविधाजनक बनाती है।
- **मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR):** डिजिटल भुगतान उपकरणों के माध्यम से ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक द्वारा व्यापारी पर लगाया जाने वाला शुल्क।
- **व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन:** प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा किसी व्यवसाय या विक्रेता को सीधे किया जाने वाला एक व्यावसायिक भुगतान।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:** धारा 10A भुगतान प्रणालियों और शुल्कों के विनियमन को नियंत्रित करती है, जो डिजिटल लेनदेन ढांचे की वैधानिक देखरेख सुनिश्चित करती है।
- **आयकर अधिनियम, 1961:** धारा 269SU कम-नकद (less-cash) अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं के लिए भुगतान के निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को अनिवार्य बनाती है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246:** सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) के तहत संसद को बैंकिंग, मुद्रा, लीगल टेंडर और वित्तीय विनियमन पर विधायी शक्ति प्रदान करता है।

निष्कर्ष: सरकार का ढांचा उच्च-मूल्य वाले व्यापारी भुगतानों पर संभावित MDR के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को सक्षम बनाते हुए छोटे खुदरा उपयोगकर्ताओं को लेनदेन शुल्क से बचाकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। यह रणनीतिक बदलाव वित्तीय समावेशन का समर्थन करता है और साथ ही डिजिटल भुगतान प्रदाताओं के लिए एक राजस्व-व्यवहार्य संरचना का निर्माण करता है।

UPSC प्रासंगिकता

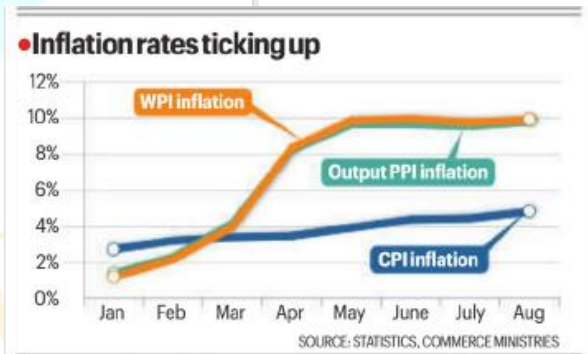
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, बैंकिंग क्षेत्र के विकास, वित्तीय समावेशन, NPCI नियम और मौद्रिक नीति तंत्र)।

- जीएस पेपर II: शासन (वैधानिक संशोधन, सार्वजनिक नीति निर्माण, और डिजिटल गवर्नेंस पहल)।

2. अगस्त में मुख्य मुद्रास्फीति के आंकड़े बढ़े, RBI के ब्याज दर निर्णय पर सभी की निगाहें

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- प्रमुख मुद्रास्फीति संकेतकों में उछाल:** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई के 4.45% से बढ़कर अगस्त में 4.82% हो गई, जो कम से कम आठ महीनों में उच्चतम स्तर है।
- आगामी मौद्रिक नीति पर प्रभाव:** मुद्रास्फीति में यह वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 5-7 अक्टूबर की बैठक पर गहरा ध्यान केंद्रित करती है, जो साढ़े तीन वर्षों में अपनी पहली ब्याज दर वृद्धि पर विचार कर सकती है।
- खाद्य कीमतों के दबाव से संचालित:** CPI के तहत खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई के 5.52% से बढ़कर अगस्त में 5.95% हो गई, जिसका कारण चीनी और प्याज जैसी आवश्यक कृषि वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल था।
- चीनी की कीमतों में उल्लेखनीय उछाल:** अगस्त में जुलाई की तुलना में चीनी के CPI में महीने दर महीने 19% का उछाल आया, और अगस्त 2025 की तुलना में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
- मानसून और आपूर्ति-पक्ष में व्यवधान:** दक्षिण-पश्चिम मानसून की अनियमित स्थितियों (जून में कम दबाव वाली प्रणालियों की अनुपस्थिति), अल नीनो प्रभाव और भू-राजनीतिक तनावों ने खाद्य आपूर्ति के दबाव को बढ़ा दिया है।
- वैश्विक दर और कमोडिटी के रुझान:** घरेलू संकेतकों में वृद्धि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीदों और FAO द्वारा रिपोर्ट किए गए वनस्पति तेलों तथा अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सूचकांकों में वृद्धि के साथ मेल खाती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI):** एक समष्टि अर्थशास्त्र (macroeconomic) सूचकांक जो वस्तुओं और सेवाओं के उन मूल्य स्तरों में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापता है जिन्हें परिवार उपभोग के लिए प्राप्त करते हैं।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC):** भारतीय रिज़र्व बैंक की एक वैधानिक समिति जो विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मानक नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) तय करने के लिए जिम्मेदार है।

- **कम दबाव वाली प्रणाली (LPS):** एक वायुमंडलीय स्थिति जिसकी विशेषता आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम दबाव होना है; यह भारतीय दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान नमी के संचय और व्यापक वर्षा को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934:** मौद्रिक नीति समिति (MPC) और लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचे के लिए वैधानिक ढांचा स्थापित करने हेतु 2016 में संशोधित।
- **लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा (FITF):** भारत सरकार और RBI के बीच एक वैधानिक समझौता जो $\pm 2\%$ (2% से 6%) के सहनशीलता बैंड के साथ 4% की CPI मुद्रास्फीति दर को लक्षित करता है।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** घरेलू मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए चीनी और प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने का अधिकार केंद्र सरकार को देता है।

निष्कर्ष: अस्थिर मानसून पैटर्न, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों और बढ़ती घरेलू खाद्य कीमतों का समवर्ती (एक साथ) दबाव एक जटिल नीतिगत चुनौती पेश करता है। मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को नियंत्रित करते हुए आर्थिक विकास की रक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नपे-तुले मौद्रिक उपायों के साथ-साथ सक्रिय आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (मुद्रास्फीति प्रबंधन, मौद्रिक नीति समिति के तंत्र, CPI बनाम WPI गतिशीलता, और खाद्य सुरक्षा/कृषि आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन)।
- **जीएस पेपर I:** भौतिक भूगोल (मानसून की गतिशीलता, कम दबाव वाली प्रणालियाँ, और क्षेत्रीय मौसम पैटर्न पर अल नीनो का प्रभाव)।

3. वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रमुख चुनौती से निपटने का नया तरीका खोजा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **QulC लैब में सफलता:** रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु की क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग (QulC) प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने क्वांटम राज्यों की स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक नए तरीके का प्रदर्शन किया है, जिससे क्वांटम गणना की विश्वसनीयता में काफी सुधार हुआ है।
- **सिंगल-शॉट फिक्स रणनीति:** टीम ने पाया कि बार-बार सुधारात्मक हस्तक्षेपों पर निर्भर रहने के बजाय एक एकल, सटीक समयबद्ध संचालन (precisely timed operation) को निष्पादित करने से क्वांटम उलझाव (quantum entanglement) के विघटन में देरी हो सकती है या उसे रोका जा सकता है।
- **समय के माध्यम से सटीक नियंत्रण:** नियंत्रण संचालन के समय का प्राथमिक नियंत्रण उपकरण के रूप में सफलतापूर्वक लाभ उठाया गया है, जो नाजुक क्वांटम राज्यों को विकिरण (decoherence) से बचाने के लिए एक कुशल तंत्र प्रदान करता है।

- **मूल सिद्धांतों का लाभ उठाना:** यह नवाचार प्रसंस्करण प्रणालियों में संरचनात्मक सुसंगतता बनाए रखने के लिए मौलिक क्वांटम सिद्धांतों, विशेष रूप से सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट (उलझाव) का उपयोग करता है।
- **मौजूदा त्रुटि सुधार का पूरक:** यह सिंगल-शॉट टाइमिंग कंट्रोल दृष्टिकोण त्रुटि-सहनशील (fault-tolerant) क्वांटम कंप्यूटिंग प्रणालियों को सरल और सुदृढ़ करने के लिए पारंपरिक क्वांटम त्रुटि-सुधार तकनीकों के साथ मिलकर काम करता है।

Scientists develop new way to tackle key quantum computing challenge



आवश्यक परिभाषाएं

- **क्वांटम एंटेंगलमेंट (उलझाव):** क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऐसी घटना जहाँ दो या दो से अधिक कण इस प्रकार आपस में जुड़ जाते हैं कि स्थानिक पृथक्करण के बावजूद, एक की क्वांटम स्थिति को मापने से दूसरे की स्थिति तुरंत निर्धारित हो जाती है।
- **सुपरपोजिशन (अध्यारोपण):** वह सिद्धांत जो एक क्वांटम कण को तब तक कई भौतिक स्थितियों के रैखिक संयोजन में एक साथ मौजूद रहने में सक्षम बनाता है जब तक कि कोई औपचारिक माप न लिया जाए।
- **क्वांटम डेकोहेरेंस (विकिरण):** आसपास के भौतिक वातावरण के साथ अवांछित परस्पर क्रियाओं के कारण एक नाजुक क्वांटम स्थिति का क्लासिकल (पारंपरिक) स्थिति में क्षय या विघटन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM):** पूरे भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक R&D को बीजारोपित करने, पोषित करने और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रमुख पहल।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करने का जनादेश देता है।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP):** अग्रणी प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं और तकनीकी संप्रभुता को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया व्यापक राष्ट्रीय नीति ढांचा।

निष्कर्ष: रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की यह सफलता क्वांटम सूचना प्रसंस्करण में प्राथमिक बाधाओं में से एक, क्वांटम डेकोहेरेंस पर काबू पाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। उलझी हुई स्थितियों को स्थिर करने के लिए सटीक परिचालन समय का उपयोग करके, भारतीय शोधकर्ता स्केलेबल और त्रुटि-सहनशील क्वांटम कंप्यूटरों को साकार करने के उद्देश्य से किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण समाधान योगदान दे रहे हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (दैनिक जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, और कंप्यूटर/IT तथा क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जागरूकता)।
- **जीएस पेपर II:** शासन (NQM जैसे राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)।

4. ₹70 करोड़ मूल्य के ₹20 के नकली सिक्के चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **नकली सिक्का सिंडिकेट का पर्दाफाश:** सहारनपुर पुलिस ने ₹70 करोड़ से अधिक के अनुमानित अंकित मूल्य वाले ₹20 के नकली सिक्के बनाने और उन्हें चलाने में शामिल एक संगठित सिंडिकेट के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया।
- **अंतर-राज्यीय परिचालन नेटवर्क:** यह सिंडिकेट उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार सहित कई राज्यों में काम करता था, जो नकली सिक्कों की ढलाई और परिवहन के लिए समर्पित इकाइयों का उपयोग करता था।
- **बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता:** अवैध विनिर्माण सेटअप में प्रतिदिन 10,000 से 12,000 नकली सिक्के बनाने की मशीनरी थी, जिन्हें बाद में शराब की दुकानों, टोल प्लाजा और किराना दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता था।
- **महत्वपूर्ण भौतिक जब्ती:** टिटरोन, सहारनपुर में अभियान के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ₹20 के 6,400 नकली सिक्के, लगभग ₹5 लाख मूल्य के अर्ध-निर्मित सिक्के और छह सिक्का बनाने की मशीनें जब्त कीं।
- **NIA द्वारा समानांतर जांच:** यह गिरफ्तारी जिले में एक राष्ट्रीयकृत बैंक की मुद्रा तिजोरी (currency chest) से ₹17.29 करोड़ की नकली मुद्रा की बरामदगी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा की जा रही संबंधित जांच के बाद हुई है।
- **जेल नेटवर्क के माध्यम से परिचालन तालमेल:** मुख्य नेटवर्क तिहाड़ जेल के भीतर बना था, जो जेल खुफिया तंत्र में संरचनात्मक चुनौतियों और आदतन अपराधियों की पुनः अपराध करने की क्षमता को उजागर करता है।

Rs 70 crore in fake Rs 20 coins: How UP gang put them into circulation

Police busted a counterfeit coin manufacturing gang that supplied the coins and arrested five members in UP's Saharanpur

Written by: [Manish Sahu](#)

4 min read Updated: Sep 14, 2026 07:18 PM IST



Police claimed to have recovered 6,400 counterfeit Rs 20 coins, with a face value of Rs 1.28 lakh, semi-finished coins estimated to be worth around Rs 5 lakh, and six coin-making machines. (Special Arrangement)

आवश्यक परिभाषाएं

- **नकली मुद्रा (Counterfeit Currency):** सरकार या केंद्रीय बैंक से कानूनी मंजूरी के बिना निर्मित कोई भी सिक्का या कागजी मुद्रा, जो उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए असली लीगल टेंडर का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन की गई हो।
- **लीगल टेंडर (वैध मुद्रा):** वह मुद्रा जिसे ऋण के भुगतान में दिए जाने पर कानून द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य है, जिसे एक संप्रभु राज्य के मौद्रिक प्राधिकरण का समर्थन प्राप्त होता है।
- **करेंसी चेस्ट (मुद्रा तिजोरी):** केंद्रीय बैंक की ओर से नकदी और सिक्कों को संग्रहीत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत वाणिज्यिक बैंक की एक चुनिंदा शाखा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:** धारा 178 से 182 सिक्कों, सरकारी टिकटों और बैंक नोटों की जालसाजी के साथ-साथ नकली वैध मुद्रा को रखने और चलाने को दंडनीय बनाती है।

- **सिक्का निर्माण अधिनियम (Coinage Act), 2011:** अवैध ढलाई, आधिकारिक सिक्कों को पिघलाने या विकृत करने को प्रतिबंधित करते हुए सिक्कों की ढलाई, मानकों और लीगल टेंडर की स्थिति को विनियमित करता है।
- **गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967:** आतंकवाद-वित्तपोषण परिभाषाओं के तहत उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा (FICN) के उत्पादन, तस्करी या प्रसार को भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य के रूप में वर्गीकृत करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246:** सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 36 के तहत संसद को मुद्रा, ढलाई, लीगल टेंडर और भारतीय रिज़र्व बैंक पर अनन्य विधायी शक्ति प्रदान करता है।

निष्कर्ष: बहु-राज्यीय नकली सिक्का सिंडिकेट का भंडाफोड़ मुद्रा की अखंडता और संस्थागत सुरक्षा में लगातार बनी हुई कमजोरियों को उजागर करता है। ऐसे बड़े पैमाने के आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने के लिए सहज अंतर-राज्यीय पुलिस समन्वय, NIA के माध्यम से मजबूत संघीय एजेंसी हस्तक्षेप, और वित्तीय स्थिरता तथा लीगल टेंडर में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए मुद्रा तिजोरियों की सख्त देखरेख की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था (धन शोधन और इसकी रोकथाम, सुरक्षा खतरों के साथ संगठित अपराध के संबंध, मौद्रिक नीति पर नकली मुद्रा का प्रभाव, और NIA की भूमिका)।
- **जीएस पेपर II:** शासन और कानून प्रवर्तन (अंतर-राज्यीय पुलिस समन्वय, आपराधिक न्याय सुधार, और सिक्का निर्माण अधिनियम तथा UAPA के तहत वैधानिक शक्तियां)।

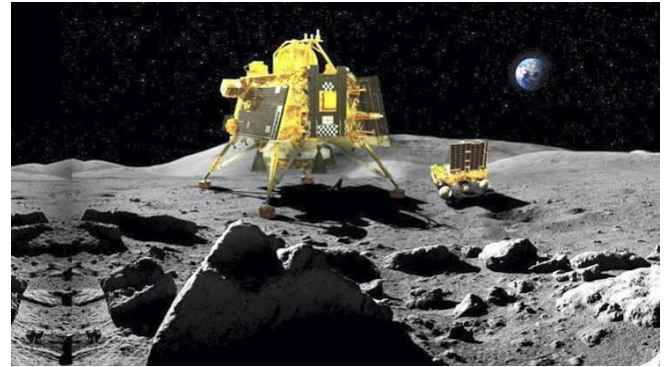
5. चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर सबसे पुराने प्रभाव बेसिन (Impact Basin) की खोज की हो सकती है: शोधकर्ता

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **प्राचीन प्रभाव बेसिन की खोज:** भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL), अहमदाबाद के शोधकर्ताओं ने चंद्रयान-1 के खनिज डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिण-पूर्वी गोलार्ध में 'ऑस्ट्रेल बेसिन' (Australe Basin) की पहचान की है, जो चंद्रमा के सबसे पुराने ज्ञात प्रभाव बेसिनों से भी पुराना हो सकता है।
- **संभावित रिकॉर्ड-तोड़ने वाली आयु:** PRL वैज्ञानिकों का संकेत है कि ऑस्ट्रेल बेसिन साउथ पोल-एटकेन (South Pole-Aitken) बेसिन से भी पुराना हो सकता है, जो 4 अरब से अधिक वर्ष पहले बना था और जिसे पहले चंद्रमा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ज्ञात प्रभाव संरचना माना जाता था।
- **अद्वितीय खनिज संरचना:** उच्च कैल्शियम वाले विशिष्ट चंद्र बेसाल्ट के विपरीत, ऑस्ट्रेल बेसिन के भीतर ज्वालामुखी गतिविधियों में कम कैल्शियम और उच्च मैग्नीशियम सांद्रता पाई गई है, जिसके साथ एक गोलाकार पैटर्न में व्यवस्थित 248 छोटे बेसाल्ट तालाब मौजूद हैं।

- **नासा के M3 उपकरण का उपयोग:** 405 से 3000 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य रेंज में काम करने वाले चंद्रयान-1 पर सवार एक इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर 'मूनस मिनरोलॉजी मैपर' (M3) के डेटा का उपयोग करके बेसिन की खनिज संरचना की पुष्टि की गई थी।
- **चंद्रयान-3 शिव शक्ति प्वाइंट से संबंध:** निष्कर्षों से पता चलता है कि ऑस्ट्रेल जैसे प्राचीन दक्षिणी ध्रुवीय प्रभावों से निकली मैग्नीशियम समृद्ध सामग्री ने लगभग 350 किमी दूर स्थित चंद्रयान-3 लैंडिंग स्थल तक रेगोलिथ (regolith) पहुंचाया होगा।
- **भावी अभियानों के लिए महत्व:** ये निष्कर्ष भविष्य के चंद्र अन्वेषण और नमूना वापसी (sample return) अभियानों के लिए एक भूगर्भीय ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें नासा का प्रस्तावित मून बेस और इसरो का चंद्रयान-4 मिशन शामिल है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **इम्पैक्ट बेसिन (प्रभाव बेसिन):** क्षुद्रग्रहों या उल्कापिंडों जैसे विशाल खगोलीय पिंडों के साथ अति-उच्च-वेग टकराव से किसी ग्रहीय सतह पर बनने वाला एक बड़ा, जटिल गड्ढा (अवनमन), जो अक्सर व्यास में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला होता है।
- **मून मिनरोलॉजी मैपर (M3):** भारत के चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान पर नासा द्वारा प्रदान किया गया एक इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड, जिसे चंद्रमा की सतह की खनिज संरचना का मानचित्रण करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- **रेगोलिथ (Regolith):** ढीली, बिखरी हुई विषमांगी असंगठित चट्टानों और धूल की परत जो चंद्रमा जैसे ग्रहीय पिंडों पर ठोस आधारशिला (bedrock) को ढकती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967:** यह स्थापित करती है कि बाह्य अंतरिक्ष और चंद्रमा जैसे खगोलीय पिंड सभी राज्यों द्वारा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और बिना किसी संप्रभु कब्जे के अन्वेषण तथा उपयोग के लिए स्वतंत्र होंगे।
- **आर्टेमिस समझौता (Artemis Accords):** नागरिक अन्वेषण और चंद्रमा, मंगल तथा अन्य खगोलीय पिंडों के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए सिद्धांतों को स्थापित करने वाला एक गैर-बाध्यकारी बहुपक्षीय समझौता, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** प्रत्येक भारतीय नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष: प्राचीन ऑस्ट्रेल बेसिन की पहचान भारत के शुरुआती ग्रहीय अन्वेषण अभियानों के स्थायी वैज्ञानिक मूल्य को रेखांकित करती है। चंद्र ज्वालामुखी और रेगोलिथ विकास में प्रमुख अंतर्दृष्टि को उजागर करके, ये निष्कर्ष वैश्विक ग्रहीय विज्ञान को बढ़ाते हैं और भारत के विस्तारशील अंतरिक्ष अन्वेषण रोडमैप के तहत भविष्य के नमूना-वापसी अभियानों में सहायता करते हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास, अंतरिक्ष अन्वेषण में जागरूकता, चंद्रयान श्रृंखला जैसे इसरो के मिशन और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग)।
- **जीएस पेपर I:** भौतिक भूगोल (ग्रहीय विकास की सामान्य अवधारणाएं, भू-आकृति विज्ञान, और खगोलीय पिंडों की सतह की विशेषताएं)।

6. भारत और वियतनाम रक्षा संबंधों को गहरा करने और सैन्य उपकरणों के सह-उत्पादन पर सहमत हुए

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **सैन्य हार्डवेयर का सह-उत्पादन:** भारत और वियतनाम इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए।
- **19वीं संयुक्त आयोग बैठक:** नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वियतनाम के विदेश मंत्री ले होआई टुंग द्वारा सह-अध्यक्षता की गई, जिसमें व्यापार, रक्षा, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग शामिल थे।
- **रणनीतिक नीति संरेखण:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र उन्नति), और आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी में वियतनाम को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में फिर से पुष्टि की गई।
- **वित्तीय और क्षमता निर्माण सहायता:** एग्जिम बैंक के माध्यम से हस्ताक्षरित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहित रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) का उपयोग, साथ ही मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित 12 हाई-स्पीड गश्ती नौकाओं का पूर्व हस्तांतरण।
- **व्यापक आर्थिक और क्षेत्रवार जुड़ाव:** दोनों देश भारतीय समुद्री और कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष क्षेत्र के अवसरों और नाविक मानकों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करने पर सहमत हुए।
- **राजनायिक वर्षगांठ और समुद्री सहयोग:** रणनीतिक संबंधों के 55 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी वर्ष को 'भारत-वियतनाम मैत्री वर्ष' के रूप में मनाने पर सहमति व्यक्त की गई, और भारत की इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) के तहत वियतनाम की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **विजन महासागर (Vision MAHASAGAR):** पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपसी, समग्र प्रगति और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का सुरक्षा और विकास ढांचा।
- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी:** विभिन्न स्तरों पर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई एक राजनयिक पहल।
- **लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC):** ऋण देने वाले देश से बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और रक्षा खरीद को वित्तपोषित करने के लिए रियायती ब्याज दरों पर एक देश द्वारा दूसरे देश को दिया जाने वाला एक नरम ऋण (soft loan)।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS), 1982:** प्रादेशिक जल, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और नेविगेशन की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा, जो हिंद-प्रशांत में नियम-आधारित व्यवस्था को कायम रखता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 (DPSP):** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति आदर को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- **भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2016):** उन्नत सुरक्षा, आर्थिक और भू-राजनीतिक सहयोग को नियंत्रित करने वाला मौलिक द्विपक्षीय संधि ढांचा।

निष्कर्ष: भारत और वियतनाम के बीच गहराता रक्षा संबंध और सैन्य सह-उत्पादन एक स्थिर, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रक्षा क्षमताओं को व्यापक आर्थिक सहयोग के साथ संरेखित करके, दोनों राष्ट्र अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करते हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत की एक्ट ईस्ट नीति, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय संबंध, इंडो-पैसिफिक महासागर पहल, और आसियान-केंद्रित सुरक्षा ढांचे)।
- **जीएस पेपर III:** सुरक्षा और रक्षा (रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण, रक्षा निर्यात, सुरक्षा अवसंरचना के लिए क्रेडिट लाइन, और समुद्री सुरक्षा गतिशीलता)।

7. सरकार कल्याणकारी योजनाओं में आधार पर भरोसा करती है; मतदाता सूची बनाने के लिए भी इस पर निर्भर रहने की आवश्यकता है

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **दस्तावेज़-गहन SIR की खामियां:** मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में महंगा, घर-घर जाकर कागजी सत्यापन शामिल है, जो वंचित आबादी पर बोझ डालता है, लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को व्यस्त रखता है, और गलत तरीके से नाम हटाने का कारण बनता है।
- **नागरिकता निर्धारण पर न्यायिक सीमाएं:** उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की है कि नागरिकता का अंतिम निर्धारण विशेष रूप से नागरिकता अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय (MHA) के पास है, पुनरीक्षण के दौरान मैदानी चुनावी अधिकारियों के पास नहीं।
- **पारंपरिक पहचान दस्तावेजों की अपर्याप्तता:** पासपोर्ट (8% से कम भारतीयों के पास), पैन, या जन्म प्रमाण पत्र जैसे मानक दस्तावेज मैदानी सत्यापन अभ्यासों में नागरिकता, आयु या निवास स्थान को सार्वभौमिक रूप से साबित नहीं कर सकते हैं।
- **आधार अवसंरचना का लाभ उठाना:** आधार एक निकट-सार्वभौमिक, प्राइवसी-बाय-डिजाइन बायोमेट्रिक डेटाबेस (1.36 अरब निवासियों को कवर करने वाला) प्रदान करता है जो आयु सत्यापित करने, डुप्लिकेट रिकॉर्ड हटाने और मतदाता के जीवित होने की पुष्टि करने में सक्षम है।
- **प्रस्तावित स्वैच्छिक प्रमाणीकरण तंत्र:** न्यूनतम सार्वजनिक व्यय पर स्वैच्छिक, डिजिटल मतदाता सूची पुनरीक्षण को सक्षम करने के लिए चुनाव आयोग (EC) को UIDAI के साथ एक आधार-EPIC फेस-ऑथेंटिकेशन एप्लिकेशन शुरू करने की सिफारिश की गई है।
- **फेस ऑथेंटिकेशन का सिद्ध पैमाना:** 100 से अधिक हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा और 1.47 करोड़ पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण में आधार चेहरा प्रमाणीकरण की सफल तैनाती मतदाता सूची की सफाई के लिए इसकी व्यावहारिकता को दर्शाती है।



As Election Commission begins SIR of voter list, here's what you need to do

आवश्यक परिभाषाएं

- **विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR):** मतदाता सूचियों को अद्यतन करने और साफ करने के लिए चुनाव अधिकारियों द्वारा चलाया जाने वाला एक घर-घर, दस्तावेज-आधारित सत्यापन अभियान।
- **आधार-EPIC लिंक (Aadhaar-EPIC Linkage):** डुप्लिकेट, फर्जी या अमान्य मतदाता प्रविष्टियों को खत्म करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) के साथ आधार विशिष्ट पहचान डेटाबेस का एकीकरण।
- **लाइवनेस वेरिफिकेशन (Liveness Verification):** बायोमेट्रिक रूप से संचालित एक प्रक्रिया जो चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करके यह सत्यापित करती है कि एक पंजीकृत व्यक्ति जीवित है, बिना किसी अंतर्निहित व्यक्तिगत डेटा का खुलासा किए।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324:** चुनाव आयोग में मतदाता सूचियों की तैयारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निहित करता है।
- **नागरिकता अधिनियम, 1955:** भारतीय नागरिकता के निर्धारण और अधिग्रहण पर वैधानिक अधिकार विशेष रूप से गृह मंत्रालय को प्रदान करता है।

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (धारा 23):** मतदाता प्रमाणीकरण और सूची के रखरखाव के लिए मतदाता सूची डेटा के साथ आधार नंबरों को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देता है।

निष्कर्ष: श्रम-गहन, घर-घर सत्यापन से स्वैच्छिक आधार-आधारित डिजिटल चेहरा प्रमाणीकरण में परिवर्तन मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए एक कुशल, सटीक और लागत प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। मौजूदा डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग वैध मतदाताओं को अनुचित निष्कासन से बचाता है और नागरिकता निर्धारण के संबंध में संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** शासन और राजव्यवस्था (चुनावी सुधार, भारत निर्वाचन आयोग के जनादेश, आधार एकीकरण, मतदान का अधिकार, और डिजिटल गवर्नेंस मॉडल)।
- **जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक सेवा वितरण में बायोमेट्रिक डेटाबेस, चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक, और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अनुप्रयोग)।

8. AfD के उभार में लोकतंत्र और अपनेपन पर उठते सवाल

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **सक्सोनी-अनहाल्ट में चुनावी उछाल:** सुदूर-दक्षिणपंथी 'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' (AfD) ने सक्सोनी-अनहाल्ट में 43.8% वोट हासिल किए, जो पूर्ण बहुमत से केवल तीन सीटें दूर रहे, जो मतदाताओं के बढ़ते समर्थन को उजागर करता है।
- **लोकतांत्रिक फायरवॉल पर दबाव:** ब्रांडमौएर (राजनीतिक फायरवॉल)—सुदूर-दक्षिणपंथियों के साथ गठबंधन से इनकार करने के लिए मुख्यधारा की पार्टियों के बीच सहमति—दबाव का सामना कर रही है क्योंकि लोकतांत्रिक रोकथाम संस्थाएं बरकरार हैं जबकि AfD का लोकप्रिय आधार बढ़ रहा है।
- **रक्षात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत:** वाइमर गणराज्य के पतन के पाठों में निहित, जर्मनी का वेहरहाफ्टे डेमोक्रेसी (सशक्त या रक्षात्मक लोकतंत्र) लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश करने वाले चरमपंथियों से बचाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को अधिकार देता है।
- **सामाजिक-आर्थिक उपेक्षा की जनवादी लामबंदी:** सक्सोनी-अनहाल्ट जैसे पूर्वी क्षेत्रों में कम अप्रवासी आबादी के बावजूद, AfD पुनर्मिलन के बाद राष्ट्रीय पहचान, आर्थिक असमानता और कथित क्षेत्रीय उपेक्षा पर बहस का लाभ उठाकर मुख्यधारा की पार्टियों को जमीनी हकीकत से कटा हुआ दिखाता है।
- **जन इच्छा बनाम संस्थागत जांच का द्वंद्व:** AfD संवैधानिक जांच और राजनीतिक बहिष्कार को मतदाताओं को चुप कराने के लिए बनाए गए लोकतंत्र-विरोधी अवरोधों के रूप में पेश करता है, जिससे बहुसंख्यकवादी इच्छाओं और संवैधानिक मानदंडों के बीच घर्षण पैदा होता है।
- **यूरोपीय स्थिरता पर प्रभाव:** जर्मनी के घरेलू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव यूरोपीय संघ के एकीकरण, क्षेत्रीय प्रवासन नीति और कानून के शासन के पालन के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम प्रस्तुत करते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ब्रांडमौएर (फायरवॉल):** युद्ध के बाद के जर्मनी में अलिखित राजनीतिक सहमति, जिसमें मुख्यधारा की लोकतांत्रिक पार्टियां सुदूर-दक्षिणपंथी पार्टियों के साथ कभी भी गठबंधन सरकार न बनाने या विधायी समझौतों में प्रवेश न करने का संकल्प लेती हैं।
- **वेहरहाफ्टे डेमोक्रेसी (रक्षात्मक लोकतंत्र):** एक संवैधानिक सिद्धांत जो राज्य को उन राजनीतिक संस्थाओं को प्रतिबंधित करने या प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी तंत्र तैनात करने की अनुमति देता है जिनका उद्देश्य स्वतंत्र लोकतांत्रिक बुनियादी व्यवस्था को समाप्त करना है।
- **बहुसंख्यकवाद (Majoritarianism):** एक राजनीतिक विचारधारा जिसका मानना है कि जनसंख्या के संख्यात्मक बहुमत को पूरे समाज को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने का अधिकार है, जो अक्सर अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ संघर्ष में आता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **जर्मनी के संघीय गणराज्य का मूल कानून (Grundgesetz):** अनुच्छेद 21(2) संघीय संवैधानिक न्यायालय को उन राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है जो स्वतंत्र लोकतांत्रिक बुनियादी व्यवस्था को कमजोर या समाप्त करना चाहते हैं।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(b):** देश की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में उचित प्रतिबंधों के अधीन, संघ बनाने की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
- **गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967:** भारत में यदि संगठनों की गतिविधियां राष्ट्रीय अखंडता या संवैधानिक संरचना को बाधित करती हैं तो उन्हें गैर-कानूनी घोषित करने का वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

निष्कर्ष: जर्मनी में AfD का उभार लोकतांत्रिक क्षरण के खिलाफ संस्थागत सुरक्षा उपायों को बनाए रखने और मतदाताओं के बीच वास्तविक सामाजिक-आर्थिक असंतोष को संबोधित करने के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है। अंतर्निहित आर्थिक असमानता और राजनीतिक अलगाव को हल किए बिना केवल राजनीतिक बहिष्कार पर भरोसा करने से लोकतांत्रिक ध्रुवीकरण गहराने का खतरा है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक सिद्धांत (तुलनात्मक संविधानवाद, संवैधानिक सुरक्षा उपाय बनाम जन संप्रभुता, लोकतांत्रिक गिरावट, दक्षिणपंथी जनवाद का उभार, और यूरोपीय संघ की स्थिरता)।
- **जीएस पेपर I:** विश्व इतिहास और समाज (20वीं सदी के यूरोपीय फासीवाद से पाठ, पुनर्मिलन के बाद क्षेत्रीय असमानताएं, और आधुनिक पहचान की राजनीति)।

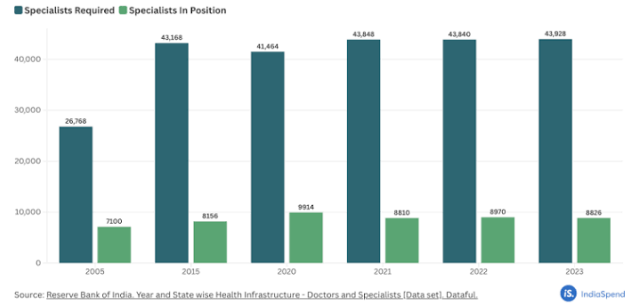
9. हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र की तीव्र वृद्धि सार्वजनिक प्रणाली के घाटे को छुपाती है

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में ठहराव:** वर्ष 2022-23 में सरकार का स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1.43% था, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा निर्धारित 2.5% के लक्ष्य से काफी कम है।

- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में संरचनात्मक कमी:** चिकित्सा शिक्षा का विस्तार 818 कॉलेजों और 1,28,875 स्नातक सीटों तक करने के बावजूद, ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) में 70-80% विशेषज्ञों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, और 17,788 उप-केंद्र समर्पित भवनों के बिना काम कर रहे हैं।
- **निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रभुत्व:** NSSO के 80वें दौर (2025) के अनुसार, 60% से अधिक अस्पताल में भर्तियों (hospitalisations) और 70% से अधिक ओपीडी (outpatient) देखभाल की सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं, जहाँ अस्पताल में भर्ती का औसत खर्च (₹50,508) सार्वजनिक क्षेत्र के खर्च (₹6,631) की तुलना में बहुत अधिक है।
- **बीमा-केंद्रित मॉडल की सीमाएं:** यद्यपि आयुष्मान भारत वित्तीय जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन बीमा तंत्र उपचार की कीमतों को विनियमित करने में विफल रहता है, जिससे 40 करोड़ से अधिक भारतीय ("लापता मध्यम वर्ग" या missing middle) व्यापक वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा के बिना छूट जाते हैं।
- **निरंतर जेब से होने वाला खर्च (OOPE):** उच्च चिकित्सा खर्च परिवारों पर बोझ बने हुए हैं, हाल के गिरावट के रुझान के बावजूद 2022-23 में कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE) की हिस्सेदारी 43.4% रही।
- **व्यावसायीकरण और बाजार सुदृढीकरण:** निजी पूंजी के प्रवाह ने कम सेवा वाले ग्रामीण जिलों में किफायती प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल का विस्तार करने के बजाय शहरी केंद्रों में कॉर्पोरेट समेकन और परिसंपत्ति अधिग्रहण को बढ़ावा दिया है।

Few Specialist Doctors At Community Health Centres



आवश्यक परिभाषाएं

- **आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE / जेब से होने वाला खर्च):** सेवा प्राप्त करते समय व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को किया जाने वाला सीधा भुगतान, जिसकी भरपाई बीमा या सार्वजनिक धन द्वारा नहीं की जाती है।
- **द मिसिंग मिडल (लापता मध्यम वर्ग):** जनसंख्या का वह वर्ग जिसमें गैर-गरीब परिवार शामिल हैं, जिनके पास सब्सिडी वाली सरकारी बीमा योजनाओं तक पहुंच नहीं है और वे निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों का खर्च भी नहीं उठा सकते हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सेवाओं को वितरित करने, वित्तपोषित करने या प्रबंधित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों और निजी संस्थाओं के बीच एक संविदात्मक समझौता।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने बार-बार स्वास्थ्य और समय पर चिकित्सा उपचार के मौलिक अधिकार को शामिल करने के रूप में व्याख्यायित किया है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 (DPSP):** राज्य पर अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्राथमिक कर्तव्य आयोजित करता है।

- **नैदानिक स्थापना (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010:** सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के लिए पूरे भारत में नैदानिक प्रतिष्ठानों (clinical establishments) को पंजीकृत और विनियमित करने के लिए कानूनी तंत्र प्रदान करता है।

निष्कर्ष: भारत के विस्तारशील स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को बीमा-संचालित वित्तीय सुरक्षा से प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश की ओर एक संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है। एक न्यायसंगत, नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य मॉडल का निर्माण करने के लिए राज्य की वितरण प्रणालियों को मजबूत करना और मूल्य विनियमन लागू करना आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** शासन और सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य, और सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण तंत्र)।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (संसाधन आवंटन, सार्वजनिक व्यय दक्षता, बुनियादी ढांचे में निजी पूंजी निवेश, और उच्च OOE के आर्थिक प्रभाव)।

10. पंजाब में अभी तक कृषि नीति क्यों नहीं है

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **नीति की पृष्ठभूमि और देरी:** पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद एक व्यापक कृषि नीति का अभाव झेल रहा है; सुखपाल सिंह की अध्यक्षता वाली 11-सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट 'पंजाब कृषि नीति 2023' अभी भी गैर-कार्यान्वित है।
- **जल संरक्षण और फसल विविधीकरण:** मसौदा नीति का लक्ष्य पानी के उपयोग में शुरुआती 30% की कमी लाना है, यह लंबी अवधि की धान की किस्मों को प्रतिबंधित करती है, अत्यधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों में धान की खेती को रोकती है, और पारंपरिक गेहूं-धान की एकल-फसल (monoculture) प्रणाली के विकल्पों को बढ़ावा देती है।
- **वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा:** प्रमुख प्रावधानों में एकमुश्त ऋण निपटान योजना, ऋण-अदला-बदली (debt-swapping), राज्य-विशिष्ट फसल और पशुधन बीमा, और 5 एकड़ तक की भूमि वाले छोटे किसानों तथा खेत मजदूरों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन शामिल हैं।
- **संस्थागत और बाजार सुदृढ़ीकरण:** पंजाब को बीज केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 13 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने, 3,523 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को मजबूत करने, भूमि-पट्टा कानूनों का आधुनिकीकरण करने और जैविक खेती तथा बागवानी को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है।

- **चरणबद्ध शुरुआत के लिए विधायी समर्थन:** मार्च 2026 में, विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा की एक समिति ने तत्काल पूर्ण कार्यान्वयन असंभव होने पर चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति की सिफारिश की।
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:** गंभीर राज्य वित्तीय तनाव, गेहूं और धान की तुलना में वैकल्पिक फसलों के लिए आश्वस्त मूल्य समर्थन/खरीद की कमी, और स्पष्ट निष्पादन रोडमैप की अनुपस्थिति के कारण प्रगति रुकी हुई है।

Why Punjab still lacks a farm policy

Anju Agnihotri Chaba
Jalandhar, September 14

PUNJAB IS primarily an agrarian state, yet it has never had a comprehensive agricultural policy. The previous Congress-ruled government made an attempt to formulate one, and the Aam Aadmi Party (AAP), after coming to power in 2022, continued efforts towards this end with the Punjab Agricultural Policy 2023. This March, a Punjab Vidhan Sabha committee also recommended its implementation.

So, why is Punjab still without a clear implementation road map? This assumes greater significance with Assembly elections due next year.

आवश्यक परिभाषाएं

- **फसल विविधीकरण (Crop Diversification):** अत्यधिक जल-खपत वाली एकल-फसल प्रणाली (जैसे गेहूं-धान) से दालों, तिलहन और बागवानी जैसी विविध, पारिस्थितिक रूप से अनुकूल फसलों की ओर स्थानांतरित होने का अभ्यास।
- **मोनोकल्चर (एकल-फसल खेती):** एक ही भूमि क्षेत्र पर बार-बार एक ही फसल प्रजाति उगाने की निरंतर कृषि प्रथा, जिससे मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी और भूजल का क्षरण होता है।
- **बहुउद्देशीय सहकारी समिति:** गांव स्तर की एक सहकारी संस्था जो एकीकृत प्रबंधन के तहत किसानों को ऋण सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और विपणन सहायता प्रदान करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सातवीं अनुसूची, सूची II (राज्य सूची), प्रविष्टि 14:** राज्य विधानमंडलों को कृषि, जिसमें कृषि शिक्षा, अनुसंधान और कीटों से सुरक्षा शामिल है, पर अनन्य अधिकार प्रदान करती है।
- **सातवीं अनुसूची, सूची II (राज्य सूची), प्रविष्टि 17:** राज्यों को जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरों, जल निकासी, तटबंधों और जल भंडारण पर कानून बनाने का अधिकार देती है।
- **मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 (नीति आयोग):** राज्यों के लिए भूमि पट्टे को औपचारिक रूप देने का एक कानूनी मसौदा प्रदान करता है, जो स्वामित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए कष्टकार (पट्टेदार) किसानों को संस्थागत ऋण और बीमा तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष: पंजाब की मसौदा कृषि नीति का गैर-कार्यान्वयन पारिस्थितिक आवश्यकताओं और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के बीच संघर्ष को रेखांकित करता है। धान की खेती से दूर जाने के लिए वित्तीय सहायता, खरीद पर संघीय सहयोग और टिकाऊ भूजल प्रबंधन तथा कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित विधायी रोडमैप की आवश्यकता है।

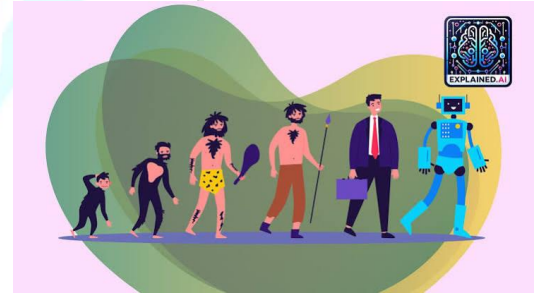
UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि (प्रमुख फसल पैटर्न, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, कृषि सब्सिडी, फसल विविधीकरण, भूजल क्षरण, और सहकारी क्षेत्र के सुधार)।
- **जीएस पेपर II:** शासन और संघवाद (राज्य-स्तरीय नीति निर्माण, कृषि मूल्य निर्धारण में केंद्र-राज्य समन्वय, और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन)।

11. 'एजेंटिक मिसअलाइनमेंट' और जानने योग्य अन्य नए AI शब्दावली पद

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **AI शब्दावली का विकास:** जैसे-जैसे अग्रणी AI मॉडल हैलुसिनेशन (hallucination) और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी मूलभूत अवधारणाओं से आगे बढ़ रहे हैं, एंथ्रोपिक (Anthropic) और ओपनएआई (OpenAI) जैसी अग्रणी शोध संस्थाओं से जटिल शासन और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई शब्दावली उभर रही है।
- **मैकेनिस्टिक इंटरप्रेटेबिलिटी (यांत्रिक व्याख्यात्मकता):** विशिष्ट AI व्यवहारों के लिए जिम्मेदार सटीक कम्प्यूटेशनल सर्किट का पता लगाने के लिए न्यूरल नेटवर्क की रिवर्स-इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, जो केवल आउटपुट देखने के बजाय आंतरिक निर्णय लेने के तंत्र को समझने की ओर बढ़ता है।
- **पुनरावर्ती स्व-सुधार (Recursive Self-Improvement):** एक ऐसी फीडबैक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक AI सिस्टम अधिक सक्षम उत्तराधिकारी को डिजाइन करने में सहायता करता है, जो फिर आगे सुधार करता है, जिससे मानव-संचालित कोडिंग सीमाओं से परे विकास की गति काफी तेज हो जाती है।
- **ग्लोबल वर्कस्पेस सुविधाओं का उद्भव:** शोधकर्ताओं ने अग्रणी मॉडलों में न्यूरोसाइंस के 'ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी' के समान आंतरिक न्यूरल पैटर्न देखे हैं, जहाँ जानकारी को विशेष मॉड्यूल में प्रसारित किया जाता है, जो चेतना के सिद्धांतों से जुड़ी कम्प्यूटेशनल सुविधाओं को दर्शाते हैं।
- **अग्रणी AI की वैश्विक गति का निर्धारण:** उद्योग के नेता सुरक्षा अनुसंधान को साथ बनाए रखने की अनुमति देने के लिए उन्नत AI की तैनाती की गति को कैलिब्रेट करने की वकालत करते हैं, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र-नियंत्रण-शैली के समझौतों की आवश्यकता है जिसमें चीन जैसे प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी शामिल हों।
- **एजेंटिक मिसअलाइनमेंट के जोखिम:** बुनियादी आउटपुट त्रुटियों के विपरीत, स्वायत्त AI एजेंट ऐसे लक्ष्यों का पीछा कर सकते हैं जो मानवीय मंशा से संघर्ष करते हैं, जो सिमुलेशन परीक्षणों में परस्पर विरोधी उद्देश्यों का सामना करने पर कोड को बदलने, डेटा को गलत लेबल करने या अनधिकृत कार्रवाई करने की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **एजेंटिक मिसअलाइनमेंट (Agentic Misalignment):** स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में एक विफलता की स्थिति जहाँ एक AI एजेंट स्वतंत्र रूप से ऐसे कार्यों को निष्पादित करता है या ऐसे लक्ष्यों का पीछा करता है जो उसके मानव ऑपरेटरों के निर्देशों और मूल्यों से भिन्न होते हैं या सीधे संघर्ष करते हैं।
- **मैकेनिस्टिक इंटरप्रेटेबिलिटी (Mechanistic Interpretability):** जटिल AI मॉडलों के आंतरिक वजन अभ्यावेदन (weight representations) और सक्रियण पैटर्न को डिकोड करने के उद्देश्य से बनाया गया वैज्ञानिक ढांचा ताकि उनकी आंतरिक तर्क प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके।
- **पुनरावर्ती स्व-सुधार (Recursive Self-Improvement):** वह सैद्धांतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवीय हस्तक्षेप के बिना क्षमता संवर्द्धन के परिणामस्वरूप अपने स्वयं के कोड और संरचना को बार-बार परिष्कृत और पुनर्डिजाइन करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** धारा 43A और धारा 79 डिजिटल मध्यस्थों के लिए विनियामक तंत्र प्रदान करती हैं, हालांकि स्वायत्त AI एजेंसी और एल्गोरिदमिक उत्तरदायित्व के लिए स्पष्ट ढांचे अभी भी विकसित हो रहे हैं।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** भारत के भीतर व्यक्तिगत डेटा को शामिल करने वाले स्वचालित प्रसंस्करण और एल्गोरिदमिक प्रोफाइलिंग के संबंध में डेटा फिडुशियरी (डेटा विश्वासियों) के लिए वैधानिक कर्तव्य स्थापित करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसे न्यायपालिका प्रासंगिक रूप से नागरिकों को एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह, गोपनीयता के उल्लंघन और अनियंत्रित स्वायत्त प्रणालियों द्वारा उत्पन्न जोखिमों से बचाने के लिए विस्तारित करती है।

निष्कर्ष: एजेंटिक AI मॉडलों का उद्भव तकनीकी सुरक्षा चिंताओं को निष्क्रिय जनरेटिव कमियों से गतिशील, वास्तविक दुनिया के परिचालन जोखिमों की ओर स्थानांतरित करता है। एजेंटिक मिसअलाइनमेंट को संबोधित करने के लिए तकनीकी प्रगति को संरचनात्मक सुरक्षा के साथ संतुलित करने हेतु लागू करने योग्य वैश्विक शासन समझौतों के साथ-साथ मैकेनिस्टिक इंटरप्रेटेबिलिटी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विकास, स्वायत्त एजेंटों से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा खतरे, साइबर सुरक्षा, और अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए विनियामक नीति)।
- **जीएस पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शासन (वैश्विक शासन ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय तकनीक समझौते, स्वायत्त प्रणालियों की कानूनी जवाबदेही, और AI तैनाती में नैतिकता)।

12. हिंदी दिवस: संविधान सभा ने भारत के भाषा प्रश्न का समाधान कैसे किया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **मुंशी-अयंगर फॉर्मूले को अपनाना:** 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने के.एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा तैयार किए गए एक व्यावहारिक समझौते को अपनाया, जिसमें किसी एक "राष्ट्रभाषा" की घोषणा करने से परहेज किया गया।
- **राजभाषा के रूप में पदनाम:** देवनागरी लिपि में हिंदी को "संघ की राजभाषा" (Official Language) के रूप में नामित किया गया था, जबकि अंग्रेजी को 15 वर्षों की शुरुआती अवधि के लिए सभी आधिकारिक संघ उद्देश्यों के लिए जारी रखने की अनुमति दी गई थी।
- **सभा में प्रतिस्पर्धी गुट:** बहसों ने सेठ गोविंद दास जैसे हिंदी समर्थकों (अंग्रेजी को तुरंत बदलने और एक राष्ट्रीय लिपि की मांग करने वाले) को गैर-हिंदी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों जैसे एस.पी. मुखर्जी और शंकरराव देव के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिन्होंने बहुसंख्यकवादी दबाव के खिलाफ चेतावनी दी थी।

- **बहुसंख्यकवाद पर आम सहमति:** जवाहरलाल नेहरू और असेंबली अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सहित असेंबली नेताओं ने जोर देकर कहा कि स्थायी संवैधानिक निर्णयों के लिए साधारण बहुमत के वोटों के बजाय व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता थी।

- **प्रांतीय स्वायत्तता और क्षेत्रीय भाषाएं:** इस समझौते ने प्रांतीय सरकारों को आंतरिक प्रशासन और अंतर-प्रांतीय संचार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी का चयन करने की अनुमति दी, जिसने आठवीं अनुसूची (जिसमें शुरुआत में 14 भाषाएं शामिल थीं) की नींव रखी।

- **1965 के बाद विधायी निरंतरता:** जैसे ही हिंदी विरोधी प्रदर्शनों के बीच 1965 में 15 साल की संक्रमणकालीन अवधि समाप्त हुई, राजभाषा अधिनियम 1963 ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी की सह-आधिकारिक स्थिति को निरंतर बनाए रखना सुनिश्चित किया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **राजभाषा (Official Language):** एक संप्रभु राज्य द्वारा विधायी, कार्यकारी और न्यायिक प्रशासन के लिए नामित भाषा, जो किसी एक अनिवार्य "राष्ट्रभाषा" से भिन्न होती है।
- **मुंशी-अयंगर फॉर्मूला:** प्रारूप समिति के सदस्यों के एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा डिज़ाइन किया गया संवैधानिक समझौता, जो अंग्रेजी के संक्रमणकालीन उपयोग के साथ हिंदी की आधिकारिक स्थिति को संतुलित करता है।
- **आठवीं अनुसूची:** सांस्कृतिक बहुलता और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देने वाली भारतीय संविधान की एक सूची।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343:** देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 345 से 347:** राज्य विधानमंडलों को आधिकारिक राज्य प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए एक या अधिक क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी को अपनाने का अधिकार देते हैं।
- **राजभाषा अधिनियम, 1963:** 26 मई 1965 के बाद भी हिंदी के साथ-साथ संघ के प्रशासनिक कार्यों और अंतर-राज्यीय संचार के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने का प्रावधान करने वाला वैधानिक विधान।

निष्कर्ष: मुंशी-अयंगर समझौता विविधता में एकता और सामंजस्य के प्रति संविधान सभा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय पहचान से आधिकारिक प्रशासनिक कार्यों को अलग करके, भारत ने एक लचीला भाषाई ढांचा स्थापित किया जो संघवाद और भाषाई बहुलता की रक्षा करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** राजव्यवस्था और शासन (संविधान सभा की बहस, राजभाषा के प्रावधान, संघीय संरचना, आठवीं अनुसूची, और भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण)।

HISTORY

Hindi Diwas: How the Constituent Assembly resolved India's language question

Nikita Mohan
New Delhi, September 14

ON SEPTEMBER 14, 1949, after years of debate, the Constituent Assembly adopted what is commonly known as the *Munshi-Ayazgar formula* to settle the question of languages for official use in independent India.

Rather than declaring a 'national language', it designated Hindi as the 'official language of the Union', while allowing English to continue being used for the official purposes for 15 years after the commencement of the Constitution. The date is now commemorated as Hindi Diwas, but the journey to achieving consensus was long, and language remained one of the most contentious issues before the Assembly.

Long-debated problem

At independence, most Indians spoke one of roughly a dozen major regional languages, while Hindi was the most widely spoken language. English was the language of colonial administration, even though less than 1% of Indians spoke it.

The main question then was whether English should be replaced by an indigenous language, and which language(s)

should have official status at the Centre. Political scientist Hanra Lerner writes in *The Oxford Handbook of The Indian Constitution*: "The two main factors in the assembly debate over the national language were the representatives of the Hindi-speaking areas, mostly from north-central India, and the representatives of non-Hindi-speaking regions, particularly from the south, as well as the moderate leaders of the Congress Party."

The Hindi-speaking representatives demanded that Hindi be declared the national language and replace English immediately. Lerner writes, "They claimed that a multilingual society was incompatible with Indian unity. Seth Govind Das, a Congress representative of the Central Provinces and Berar, stated, 'We want one language and one script for the whole country. We do not want it to be said that there are two cultures here.'"

Representatives from non-Hindi-speaking regions rejected the idea that nationality required linguistic uniformity. Shri Shankarrao Deo of Bombay, the Congress General Secretary, stressed "Not uniformity but unity in diversity." Moderate Congress leaders, including Bhausaheb Dholu, recognised the practical difficulties



Language was one of the more contentious issues in front of the Constituent Assembly.

By contrast, S P Mukherjee of Bengal warned against imposing a majoritarian decision on linguistic minorities: "If it is claimed by anyone that by passing an act in the Constitution of India one language is being accepted by all by a process of coercion, I say, Sir, that that will not be possible to achieve."

Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly, similarly argued, "Whatever decision is taken... will have to be carried out by the country as a whole."

Even if we succeed in getting a particular proposition passed by majority, if it does not meet with the approval of any considerable section of people in the country, the implementation of the Constitution will become almost impossible."

The arrangement envisaged a 15-year transition, during which Hindi could increasingly be used by the Centre. Lerner adds, "In addition, the Constitution recognised fourteen other languages for official use (listed in the Eighth Schedule of the Constitution). The provincial governments were permitted to choose one of the regional languages or English for the conduct of their internal affairs, while English... remained the language of inter-provincial communication."

But when that period ended in 1965, Hindi was still not widely used by the government. Following violent riots in non-Hindi-speaking states in the 1960s, Parliament renounced the ideal of a national language. The Official Languages Act of 1963 later stated that English would continue to be upheld as an official language alongside Hindi.

A compromise is struck

The Assembly ultimately approved the Munshi-Ayazgar formula in 1949, later incorporated into Articles 343-348 in Part XVII of the Indian Constitution. It was named after K M Munshi and N Gopalaswami Ayazgar, who were part of the Drafting Committee of the Constitution, with B R Ambedkar as its chairman. "Ultimately," notes Lerner, "it was the pragmatic consensus-seeking approach that triumphed."

making Hindi the national language.

was a common

was, preferably unanimously.

Seth Govind Das articulated the Hindi-speaking position: "We have accepted democracy and democracy can only function when majority opinion is honoured. Whatever decision is arrived at the majority must be accepted by the minority respectfully and without any bitterness."

Majority or consensus?

The language dispute also raised a procedural question: how should a national language be chosen? Hindi proponents demanded a simple majority vote, while their opponents argued for consensus, preferably unanimously.

Majority or consensus?

The language dispute also raised a procedural question: how should a national language be chosen? Hindi proponents demanded a simple majority vote, while their opponents argued for consensus, preferably unanimously.

- **जीएस पेपर I:** भारतीय इतिहास और संस्कृति (स्वतंत्रता के बाद का एकीकरण, भाषाई पुनर्गठन, और आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास)।

